मध्यप्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

सुरेश नारायण विजयवर्गीय और अन्य

सिविल अपील नं0 4060/2009

में

(अवमानना याचिका (सिविल) नं0 390/2011)

फरवरी 27, 2014

(डॉ0 बी.एस. चौहान, के.एस. राधाकृष्णन और एस.ए. बोबडे, जे.जे.)

न्यायालय की अवमानना:

मेडीकल प्रवेश-एम.बी.बी.एस. सीटो पर प्रवेश-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार और प्रत्यर्थी-निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के मध्य सीटो के बंटवारे को लेकर पारित अंतरिम आदेश-प्रत्यर्थीगण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध जाकर सभी सीटों पर प्रवेश दिया गया-उच्च न्यायालय के आदेश से राज्य कोटे के विद्यार्थियो को भी अनुमत क्षमता से अधिक प्रवेश दिया गया-अभिनिर्धारित-न्यायालय द्वारा एक बार आदेश पारित कर दिया जाता है तो कार्यवाही के पक्षकार उस आदेश के कार्यान्वयन को किसी विधिक नियम के आधार पर नहीं रोक सकते हैं। पक्षकारों के लिए यह खुला नहीं है कि आदेश के विपरीत जाकर उस आदेश के प्रभाव को कम करे। पक्षकारों द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई। ऐसा किया जाना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के अलावा कुछ नहीं है। अवमाननाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद संपूर्ण सीटों को भरने के लिए अनुचित जल्दबाजी की गई है, जो स्पष्ट रूप से योग्य छात्रों को आकर्षित करने या उन्हें पहचान दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि संभवतया गैर-कानूनी लाभ कमाने के लिए अस्वास्थयकर कार्यवाही है। अवमाननाकर्ताओं के द्वारा बिना शर्त के अयोग्य माफी मांगी है और स्वेच्छा से उनके द्वारा की गई अवैधता को ठीक करने के लिए काम किया

है, परंतु उनका यह कार्य आदेशों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी अवमाननाकर्ता अपने आप सीटें भरना चाहते थे। इसलिए आदेश की पवित्रता बनाये रखने के लिए संदेश जाता है कि पक्षकार केवल बिना शर्त के अयोग्य माफी मांगकर उनके द्वारा की गई अवैधता के फल को नहीं भोग सकते। इसलिए न्यायालय इन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित करती है और आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों के समयोजन का निर्देश देती है - चिकित्सा शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने एमबीबीएस सीटों के लिए निजी चिकित्सा महाविद्यालयों व राज्य सरकार के बीच सीटो के बंटवारे के मामले में दिनांक 27-05-2009 और दिनांक 27-01-11 को अंतरिम आदेश पारित किया। राज्य सरकार व चिकित्सा शिक्षा के निदेशक ने तत्काल अवमानना याचिका प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों ने वर्ष 2011 के लिए पूरी 150 सीटें राज्य सरकार से साझा किए बिना भरी, इसलिए उन्होंने दिनांक 27-05-09 व दिनांक 27-01-11 को न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन किया है। राज्य कोटा के विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसमें प्रत्यर्थीगण को उनके द्वारा प्रवेश लिये गये छात्रों के साथ इन्हें भी प्रवेश देने के आदेश दिये गये, जिससे प्रवेशित छात्रों की स्वीकृत संख्या 150 से बढ़कर 245 तक पहुंच गई। यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण के पास 245 छात्रों के लिए ढांचागत सुविधा नहीं थी, जिससे शैक्षणिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुये छात्रों को प्रवेश दिया गया। याचिका का निस्तारण करते हुये न्यायालय:-

अभिनिर्धारित: 1.1 अवमाननाकर्ताओं स्वयं द्वारा इस स्थिति को निर्मित करते हुए सम्पूर्ण 150 सीटें न्यायालय द्वारा दिनांक 27.5.2009 व 27.1.2011 को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुये उक्त सीटें भरी गईं। उक्त आदेशों में मध्यप्रदेश राज्य के लिए राज्य सरकार व निजी चिकित्सा माहाविद्यालयो के मध्य वर्ष 2009-10 व आगे के वर्षो हेतु सीटों के बंटवारे को लेकर व्यवस्था की गई थी, जो अवमाननाकर्ताओं पर बाध्यकारी था। अवमाननाकर्ताओं द्वारा अपने कृत्य को इस आधार पर सही ठहराने का प्रयास किया गया कि वे निजी विश्वविद्यालय अधिनियम व एएफआरसी

अधिनियम के अनुसार विनियमित होते हैं, दिनांक 4.5.2011 की राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद राज्य सरकार को संस्थानो के साथ सीटों के बंटवारे का अधिकार नहीं है। अवमाननाकर्ताओं का यह तर्क सही नहीं है, क्योंकि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 7 (एम) के अनुसार प्रवेश तब तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित संस्थान विधि व अध्यादेश से धारा 35 के अनुसार स्वीकृत नहीं हो जाते, जो यह दर्शाता है कि विधि और अध्यादेश शासकीय गजट में प्रकाशित होने के पश्चात् से ही प्रभाव में आयेगें। ऐसा होते हुए भी जब पक्षकारों पर बाध्यकारी कोई आदेश प्रभाव में होता है तो वे उक्त आदेश की अवहेलना अथवा अनदेखी नहीं कर सकते कि कोई विधिक प्रावधान विद्यमान है और यदि आदेश में कोई संशोधन की आवश्यकता होती है तो पक्षकारों को जैसे भी हो इस न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण अथवा संशोधन की मांग करनी चाहिए। जैसे भी हो, ऐसा किए बिना किया जाना संपूर्ण रूप से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना है। उन्होंने सभी सीटें भर ली और राज्य सूची के विद्यार्थियो को उलझन में डाल दिया। यद्यपि उन्हें बाद में प्रवेश दे दिया, जबकि महाविद्यालय के पास केवल 150 विद्यार्थियो से संबंधित ही आधारभूत ढांचा उपलब्ध था। ऐसा करने से मेडीकल शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता प्रभावित हुई है। {पैरा 13} {386-डी-एच, 387-ए-बी}

1.2 अवमाननाकर्ताओं के द्वारा इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है जो न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के अलावा कुछ नहीं है। न्यायालय के आदेश की अवज्ञा जानबूझकर की गई है ऐसा न्यायिक प्रणाली के ढांचागत तंत्र को हिलाने वाला और जनता का न्यायपालिका व विधि में आस्था व विश्वास कम करने वाला है। अवमाननाकर्ता एक तरफ शीर्षस्थ न्यायालय के आदेश का सम्मान करना दर्शाते है, परन्तु इसके विपरीत उनके द्वारा जल्दबाजी में संपूर्ण सीटें अच्छे छात्रो को दरकिनार करते हुये भरने का प्रयास किया गया है, जो बेहतर छात्रों और योग्यता सूची को दरकिनार कर संभवतया अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए व अस्वस्थ प्रक्रिया स्वीकार करने के लिए किया गया है।

टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य विरूद्ध कर्नाटक राज्य और अन्य, 2002 (3) सप्ली. एससीआर 587 = (2002) 8 एससीसी 48 का अवलंब लिया गया।

1.3 एक बार न्यायालय द्वारा आदेश पारित हो जाने के पश्चात् उसके पक्षकार के आदेश कार्यान्वयन के लिए इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि अन्य कोई विधिक नियम उपलब्ध है और पक्षकारों के लिए खुला नहीं है कि वे आदेश के विपरीत जाये और आदेश के प्रभाव को कम करने का प्रयास करे। (पैरा 14) (387-एफ-जी)

टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन (1995) 3 सप्ली. एससीआर 64 = (1995) 5 एससीसी 619 : मो0 असलम उर्फ भूरे, अच्छन रिजवी बनाम भारत संघ 1994 (5) सप्ली. एससीआर 104 = (1994) 6 एससीसी 442

1.4 अवमाननाकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को समाप्त करने के लिए इस आधार पर मना नहीं कर सकते कि किसी विधि के अधीन जारी अधिसूचना उपलब्ध है। न्यायालय का आदेश पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी है, जब तक कि उसे परिवर्तित या संशोधित नहीं कर दिया जाता। हस्तगत मामले में सभी अपीलें जिनमें अंतरिम आदेश पारित किया गया है वह इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और यदि अवमाननाकर्ताओं को इन आदेशों के लागू होने के बारे में कोई संदेह था तो वे न्यायालय से स्पष्टीकरण अथवा संशोधित करने की मांग कर सकते थे। बिना शर्त व अयोग्य माफी मांगकर अवमाननाकर्ता न्यायालय की अवमानना की संभव कार्यवाही को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस आदेश की अवमानना कर योग्य छात्रों को असुविधा कारित कर अवैध रूप से प्राप्त किये गये लाभ का फायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है। यह विधि का सिद्धांत है कि माफी न तो गलती को शुद्ध करने का हथियार है और न ही उसे सार्वभौमिक रामबाण माना जा सकता है। (पैरा 15) (388-सी-एफ) एम.वाई.शरीफ और अन्य बनाम माननीय न्यायाधिपतिगण, नागपुर उच्च न्यायालय और अन्य (1955) 1 एससीआर 757: एम.बी. सांघी, अधिवक्ता

बनाम पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय व अन्य 1991 (3) एससीआर 312 = (1991) 3 एससीसी 600 पर भरोसा किया गया।

1.5 अवमाननाकर्ताओं द्वारा बिना शर्त व अयोग्य माफी उनके द्वारा स्वैच्छा से किए गए अवैध कार्य को ठीक करने के लिए है जो आदेश का उल्लंघन करने के उद्देश्य से की है। अवमाननाकर्ता पूरी सीटें अपने आप भरना चाहते थे, इसलिए इस न्यायालय के आदेशों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह संदेश देना आवश्यक है कि उसके द्वारा की गई अवैधता का फल भोगकर वे केवल बिना शर्त व अयोग्य माफी मांगकर बच नहीं सकते हैं। यह न्यायालय 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाती है। (पैरा 16) (388-जी-एच य 389-ए)

1.6 इन परिस्थितियों में आदेश दिया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे के तहत छात्रों को दिया गया प्रवेश मान्य है एवं राज्य सरकार व भारतीय चिकित्सा परिसर को उक्त प्रवेश को नियमित करने हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। वर्ष 2011-12 व इससे पूर्व के वर्षों में दिए गए अतिरिक्त 107 प्रवेश को वर्ष 2014-15 के सत्र में पूर्ण स्वीकृत सीटों में व शेष को 2015-16 के वर्ष में समायोजित किया जावे। अवमाननाकर्ताओं द्वारा बिना शर्त व अयोग्य रूप से मांगी गई माफी को स्वीकार किया गया। (पैरा 20) (390-डी-एफ) मृदुल धर (माइनर) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2005 (1) एससीआर 380 = (2005) 2 एससीसी 65

2002(3) सप्ली. एससीआर 587 उल्लिखित पैरा 14

1995(3) सप्ली. एससीआ 64 भरोसा किया गया पैरा 14

1994(5) सप्ली. एससीआर 104 भरोसा किया गया पैरा 14

(1955) 1 एससीआर 757 भरोसा किया गया पैरा 15

1991(3) एससीआर 312 भरोसा किया गया पैरा 15

2005(1) एससीआर 380 उल्लिखित पैरा 18

मध्यप्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

सुरेश नारायण विजयवर्गीय और अन्य

सिविल अपील नं0 4060/2009

में

विभा दत्ता माखीजा, मिश्रा सौरभ, वंशजा शुक्ला, आर्ची अग्निहोत्रि, अंकित लाल, बी.एस. बांठिया याचिकाकर्ताओ की ओर से।

सुशील कुमार जैन, परमजीत सिंह पटवालिया, पुनीत जैन, क्रिस्ट जैन, नवदीप, प्रतिभा जैन, अमल पुष्प श्रोति, गौरव शर्मा, विवेक श्रीवास्तव उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

के.एस. राधाकृष्णन, जे. 1. यह अवमानना याचिका 2009 की सिविल अपील सं. 4060 में दिनांक 27-05-09 व 27-01-11 को राज्य सरकार व प्रत्यर्थीगण निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के मध्य सीटों के बंटवारे को लेकर पारित अंतरिम आदेश की अवमानना से संबंधित है कि अवमाननाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों का उल्लेख किया गया है।

2.प्रत्यर्थीगण/अवमाननाकर्ता के द्वारा यह सिविल अपील संख्या 4060/2009 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.5.2009 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिन्होंने यह बरकरार रखा था कि मध्यप्रदेश (प्रवेश व नियमितीकरण समिति)अधिनियम, 2007 (संक्षेप में एएफआरसी एक्ट) सही है जो राज्य सरकार को समृद्ध बनाता है कि राज्य सरकार को एनआरआई सीटों सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटें भरने का अधिकार है, जिनमें निजी चिकित्सा और डेंटल महाविद्यालय भी शामिल है। चूंकि एम.बी.बी.एस./बीडीएस सीटों के बंटवारे को लेकर गंभीर विवाद खड़े हो गये थे, इसलिए इस न्यायालय ने पाया कि दोनों पक्षकारों के हित में अंतरिम उपाय किए जाये जो कि विद्यार्थियों के हित में है। इसलिए इस न्यायालय ने अंतरिम व्यवस्था के तहत दिनांक 27.5.2009 को सिविल

अपील सं. 4060/2009 व इससे संबंधित अपीलों □□□ □□□□□ □□□□ पारित किया:

''हम इसलिए यह निर्देशित करते हैं कि मध्यप्रदेश राज्य की अनएडेड चिकित्सा और दंत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रथमतः 15 प्रतिशत एन.आर.आई. सीट्स (जो ईनामदार मामले के पैरा सं. 131 में वर्णितानुसार भरी जाए) को छोडते हुए स्नातक व स्नातकोतर कोर्स में प्रवेश हेतु शेष 85 प्रतिशत सीटों की आधी सीटे राज्य सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता के तहत प्रतियोगियों की एवं आधी सीटें निजी चिकित्सा और दंत महाविद्यालयों के संगठन के अनुसार भरी जाए। राज्य सरकार और निजी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालय अपने-अपने प्रवेश परिक्षाएं इस हेतु आयोजित कर सकती है। जहां तक एन.आर.आई. सीटों का संबंध है वे विधि एवं नियमों के अनुसार भरी जाए।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त निर्देश एक समय सीअपीलों मा के लिए केवल अकादमिक वर्ष 2009-10 के लिए है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि सीटों की संख्या विषम है तो उन्हें निजी संस्थाओं के पक्ष में राउण्ड ऑफ की जाए। उदाहरण के लिए यदि 25 सीटें हैं तो 12 सीटें राज्य सरकार एवं 13 सीटों निजी चिकित्सा और दंत महाविद्यालयों के संगठन की भरी जाए। विशेषज्ञता के लिए पी.जी. कॉर्स के लिए आधी सीटों राज्य सरकार एवं आधी निजी चिकित्सा/ दंत महाविद्यालय द्वारा और यदि कोई अंतर है तो उन्हें संगठन के पक्ष में राउण्ड ऑफ की जाए। अन्य शब्दों में यदि किसी विषय हेतु 9 सीटें है तो 5 सीटे संगठन के द्वारा, बची हुई 04 सीटे राज्य सरकार द्वारा भरी जाए। कैपिटेशन फीस राज्य सरकार व निजी संस्थाओं दोनों के लिए ईनामदार केस के पैरा सं. 140 के अनुसार प्रतिबंधित रहेगी तथा ईनामदार केस के पैरा सं. 136 के अनुसार निजी मेडिकल संस्था और दंत महाविद्यालय अपनी-अपनी एकल खिड़की परीक्षाएं आयोजित करेंगी।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे है वह पूर्ण नहीं है परन्तु हम इस बारे में सर्वोत्तम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि

यह आदेश केवल अकादमिक वर्ष 2009-10 के लिए है। हम यह भी कहते हैं कि यह आगे के वर्षों के लिए भी माना जाए।

काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए 06 सप्ताह का समय व रिजॉइन्डर प्रस्तुत करने के लिए 04 सप्ताह का समय दिया जाता है।

अपीलों को अंतिम सुनवाई हेतु सितम्बर, 2009 में लिस्ट की जाए। इस बीच पक्षकार अपने अभिवचन पूरे कर सकते हैं।

3. यह अंतरिम व्यवस्था आगे के वर्षाेंं जैसे कि वर्ष 2011-12 के लिए जारी रखी गई, इस न्यायालय ने दिनांक 27-01-11 को आई.ए. नं. 50/2011 में निम्न आदेश पारित किया:-

'' दिनांक 28-05-2009 की सिविल अपील सं. 4060/2009 में पारित आदेश अकादमिक वर्ष 2011-12 के लिए नियमित रखा जावे।

उपरोक्तानुसार आदेश है

4. यह अवमानना याचिका राज्य सरकार व चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक ने यह आक्षेप लगाते हुये प्रस्तुत की कि अवमाननाकर्ताओं ने वर्ष 2011-12 के लिए पूरी उपलब्ध 150 सीटें राज्य सरकार से साझा किए बिना भर दी हैं और इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27-05-2009 व 27-01-2011 की अवमानना की है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अवमाननाकर्ताओं ने दिनांक 23-05-11 को एक पत्र भेजकर कहा कि वे अकादमिक वर्ष 2011-12 की पूरी सीेटे भरेंगे, क्योंकि उनके महाविद्यालय मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 (संक्षेप में अधिनियम 2007) के अनुसार कार्य करते हैं जो पीपल्स यूनिवर्सिटी अधिनियम 2011 के अनुसार स्थापित हुये हैं उनकी संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया जिन अधिनियम के अंतर्गत उनकी स्थापना हुई है, उनके अनुसार की जाएगी। राज्य सरकार ने अवमाननाकर्ताओं के द्वारा लिये गये इस तर्क को महसूस करते हुये दिनांक 14-07-11 को प्रबंध निदेशक मेडिकल कॉलेज को एक पत्र लिखकर यह कहा कि प्रवेश केवल इस न्यायालय द्वारा

दिये गये आदेश दिनांक 27-01-11 अथवा उसमें कोई परिवर्तन किया गया है तो उसे अनुसार ही न्यायालय की अनुमति से किया जाएगा।

5. चिकित्सा शिक्षा के निदेशालय ने दिनांक 17-07-2011 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि अवमाननाकर्ता का यह कृत्य न्यायालय के आदेश के विपरीत है और वे अकादमिक वर्ष 2010-11 के लिए राज्य कोटे के किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दे रहे हैं।

6. चिकित्सा शिक्षा के निदेशालय द्वारा राज्य के निजी दंत एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के संगठन के सचिव को एक विस्तृत पत्र दिनांक 08-08-11 को लिखा गया और इस न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 27-01-11 को विस्तृत रूप से उल्लेखित करते हुये याद दिलवाया कि वे न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करने के लिए उसी अनुसार सीटों का बंटवारा करने के लिए बाध्य है। अवमाननाकर्ताओं ने उन पत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया और स्थानीय मध्यप्रदेश पीपल समचार में दिनांक 09-08-11 को एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया कि मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश हेतु 150 सीट उपलब्ध है।

7. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने इस बीच विद्यार्थियों की एक सूची एमबीबीएस कॉर्स में प्रवेश हेतु चिकित्सा महाविद्यालय को प्रेषित की। अवमाननाकर्ताओं ने इन विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए मना कर दिया। राज्य सरकार को इस बारे में राज्य कोटे के विद्यार्थियों की कई षिकायतें प्राप्त हुइं, परंतु अवमाननाकर्ताओं ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। तब राज्य सरकार ने दिनांक 17-11-18 को चिकित्सा महाविद्यालय के डीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया, कि उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही क्यों नहीं की जाएः-

अ. वांछनीयता और व्यवहार्यता प्रमाण-पत्र जो कॉलेज के पक्ष में जारी हुये हैं उन्हें पुनः ले लिया जाए।

ब. भारतीय चिकित्सा परिषद को कॉलेज के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए मामले में रिपोर्ट की जाए।

स. मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए संबधित प्राधिकारियों को लिखा जावे।

8. अवमाननाकर्ताओं ने न्यायालय के आदेश के संपूर्ण विपरीत जाते हुये और चिकित्सा शिक्षा निदेषालय द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के विपरीत जाकर अकादमिक वर्ष 2011-12 के लिए मैनेजमेंट कोटे में संपूर्ण 150 सीटें पर प्रवेश दे दिया।

9. जिन छात्रों के नाम राज्य कोटा में थे, उन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अवमाननाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे स्टेट कोटे के विद्यार्थियों को प्रवेश देवे। इससे उन्होंने उन विद्यार्थियों को भी प्रवेश दे दिया और इस प्रकार कॉलेज ने स्वीकृत 150 सीटों से ज्यादा 245 सीटों पर प्रवेश दे दिया। मेडिकल कॉलेज के पास 245 विद्यार्थियों के हिसाब से ढांचागत सुवधिाएं नहीं थीं, जो प्रवेशित विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा था। राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने निवेदन किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में वर्तमान अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-05-2009 और 27-01-20111 की अवमानना के बारे में उचित कार्यवाही की जावे, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों की भी पालना नहीं की।

10. जब यह मामला सुनवाई में आया और न्यायालय ने अवमाननाकर्ताओं को नोटिस दिया तो अवमाननाकर्ताओं की तरफ से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उपस्थित आकर दिनांक 03-03-14 को न्यायालय के समक्ष जाहिर किया कि वे अपने कार्याेंं के लिए बिना शर्त और अयोग्य माफी पेष करेंगे और जो अवैधताएं उनके द्वारा की गई हैं, उनके निपटारे के लिए निम्न प्रस्ताव पेश किये गये:-

अ. पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंस (पीसी.एम.एस) में वर्ष 2011-12 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश दिये गये 245 विद्यार्थियों को बाधित नहीं किया जाएगा और वे अपने शिक्षा के लिए बिना किसी बाधा के नियमित रह सकेंगे। इसमें राज्य द्वारा आवंटित की गई सीटों के विद्यार्थी भी शामिल है, जिन्हें उच्च न्यायालय के आदेश से प्रवेश दिया गया है।

ब. अकादमिक सत्र 2011-12 के लिए 50-50 प्रवेष कॉलेज व राज्य के बीच में 15 प्रतिषत एनआरआई कोटा को कम करते हुये इस न्यायालय के आदेषानुसार दिया जाएगा। राज्य 63 सीटों के लिए प्रवेष देने के लिए अधिकृत होगा। संस्थान उसके अनुसार आगामी 03 शैक्षणिक वर्षों यथा 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में 21 सीटों पर 03 वर्ष के लिए समायोजन करेगी और राज्य सरकार के आदेष दिनांक 27-05-2009 के अनुसार इसमें भर्ती प्रक्रिया अपनाएगी।

11. अवमाननाकर्ताओं ने दिनांक 13-02-14 के प्रस्तुत प्रस्ताव को दोहराते हुये निम्नलिखित लिखित नोट प्रस्तुत कियाः-

‘‘13. हालांकि वर्ष 2011-12 के लिए राज्य की उक्त 63 सीटों के विरूद्ध दाखिले पहले ही हो चुके हैं, परन्तु इस माननीय न्यायालय के आदेशों के सम्मान में प्रत्यर्थी उक्त 63 सीटें छोड़ने को तैयार है, परन्तु केवल यह 63 सीटें एक वर्ष में समायोजित होने पर कॉलेज को प्रतिकूल नुकसान होगा। अतः विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि शैक्षणिक वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 प्रत्येक में 21 सीटें समेकित करने की अनुमति दी जावे, जो दिनांक 27.05.2009 में निर्धारित क्रिया के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से भरी जाएगी।

14. यह सादर निवेदन है कि याचिकाकर्ता राज्य की अवमानना याचिका केवल शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में प्रवेश के 50 प्रतिशत कोटा यानि 63 सीटों के लिए है।

15. उत्तरदाता दिनांक 03.02.2014 को प्रस्तुत प्रस्ताव को दोहराते हुये उनके कार्य के लिए बिना शर्त व अयोग्य माफी मांगते हैं।

12. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 13.02.2014 को प्रस्तुत लिखित नोट में प्रत्यर्थी अवमाननाकर्ता द्वारा दिनांक 13.2.2014 को प्रस्तुत किए गए तर्कों के बारे में निम्नलिखित कहा गया:-

20.शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए राज्य के पास 107 छात्रों का कोटा था:-

. 63 सीटें इस माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 50: 50 के रूप में।

मेडीकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के पत्र दिनांक 19.9.2011 के अनुसार पीपल्स कॉलेज द्वारा वर्ष 2010-11 में किये गये आधिक्य प्रवेश के रूप में 42 सीटें।

एन.आर.आई कोटे की 2 सीटें जो नहीं भरी गई।

21. वर्ष 2011 के लिए राज्य कोटे की उपरोक्त स्थिति के अनुसार एम सी आई ने दिनांक 5.3.2012 को अपने पत्र (परिशिष्ट ए-1) के अनुसार निम्न रूप से स्पष्ट किया है

22. अकादमी सत्र 2011-12 के लिए

कुल स्वीकृत संख्या 150

कॉलेज द्वारा भरी गई कुल सीटें 245

कॉलेज भरने के लिए अधिकृत था 43

कॉलेज द्वारा राज्य कोटे की भरी गई सीटें 95

कॉलेज द्वारा अधिक भरी गई सीटें 107

23. कॉलेज द्वारा अधिक सीटों पर दिये गये प्रवेश के मामले को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों व एम सी आई द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के अनुसार तय किया जाना है।

24. हालांकि पीपल्स कॉलेज द्वारा बनाई गई स्कीम पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है। तब कॉलेज द्वारा 2011-12 में दिये

गये 107 अधिक प्रवेश सत्र 2014-15 में पूरे व बचे हुए प्रवेश 2015-16 में समायोजित किये जावे।

25. अवमाननाकर्ता/प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए अवैधानिक व अवैध कृत्य से न केवल राज्य सरकार बल्कि राज्य कोटे के विद्यार्थियों को गंभीर परेशानी हुई है। जिनका प्रवेश गलत रूप में इंकार कर दिया गया था और इसके लिए उन्हें अनिश्चित भविष्य के साथ-साथ लम्बी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी।

13. हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अवमाननाकर्ताओं द्वारा अन्तरिम आदेश की अवहेलना में कुल 150 सीटों को भरकर उपरोक्त स्थिति स्वयं बनाई गई है। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.5.2009 और 27.1.2011 को सीटों के बंटवारे की अन्तरिम व्यवस्था के बारे में पारित आदेश वर्ष 2009-10 से मध्य प्रदेश राज्य में अवमाननाकर्ताओं पर बाध्यकारी है। अवमाननाकर्ताओं द्वारा अपनी इस कार्यवाही को निजी विश्वविद्यालय अधिनियम/एएफआरसी अधिनियम जो बन्द हो गया है के आधार पर अपनी कार्यवाही को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है कि दिनांक 4.5.2011 की अधिसूचना के बाद राज्य सरकार को अपने संस्थान, डे आवर्स में सीटें साझा करने का कोई आधार नहीं है। अवमाननाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश के बावजूद यह रूख अपनाया गया है। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 की धारा 7 (एम) के अनुसार प्रवेश तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिनियम की धारा 35 के अनुसार सम्बन्धित कानून व अध्यादेश अनुमोदित नहीं हो जाते। जिसमें यह कहा गया कि कानून व अध्यादेश तभी प्रभाव में आयेंगें जब उनका सरकारी राजपत्र में प्रकाशन हो जाएगा, अन्यथा भी जहां एक आदेश जो पक्षकारों पर बाध्यकारी आदेश है वे इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं या किसी वैधानिक प्रावधान का आश्रय लेकर अनदेखी कर सकते हैं। यदि आदेशों में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो पक्षकारों को इस हेतु न्यायालय में सम्पर्क करना चाहिए, परन्तु ऐसा किये बिना कुल मिलाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करते हुए राज्य

सूची में शामिल छात्रों को छोड़कर पूरी सीटें भर दी गई। हालांकि बाद में कॉलेज में दाखिला मिल गया, परन्तु वहां केवल 150 छात्रों को समयोजित करने का बुनियादी ढांचा है, जिससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मानक प्रभावित हुआ है। यह आश्वस्त होने के बाद कि उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया है वे बिना शर्त और अयोग्य माफी के साथ न्यायालय में आये हैं और राज्य से सीटें छीनने के बाद उन्होंने ऐसा किया है।

14. तथ्यों के आधार पर हमने पाया है कि ऐसा जानबूझकर किया गया। इनके द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा न्याय प्रशासन के हस्तक्षेप के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी न्यायालय के आदेश की अवज्ञा जो जानबूझकर की गई हो, न्यायिक प्रणाली की नींव को हिला देता है और नष्ट कर सकता है। ऐसा न्यायपालिका में लोगों द्वारा जताया गया विश्वास और विधि के शासन को कमजोर करता है। अवमाननाकर्ताओं ने देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सम्मान करते हुए स्पष्ट रूप से पूरी सीटें भरने की अनुचित जल्दबाजी को दर्शाया गया है। ऐसा बेहतर छात्रों को आकर्षित करने या योग्यता को पहचानने के लिए नहीं, बल्कि सम्भवतः गैरकानूनी लाभ कमाने व अस्वास्थ्यकारी प्रथाओं को अपनाकर किया गया है, जैसा कि टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य विरूद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य, (2002) 8 द्वितीय 481 व अन्य मामले में देखा गया है। एक बार जब न्यायालय कोई आदेश पारित कर देता है तो किसी पक्षकार के लिए यह खुला नहीं है कि वह न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन नहीं करे। पक्षकारों को आदेशों की पालना करनी होगी। पक्षकारों द्वारा उसके प्रभाव को कम करना खुला नहीं है। यह न्यायालय टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन (1995) 5 एस सी सी 619 के अनुसार मानता है कि एक बार न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपील का निस्तारण सुनवाई आदि का अवसर देने के बाद किया जावे, यह सम्बन्धित के लिए खुला नहीं है कि पुलिस को इस आधार पर सुनवाई से इंकार करने का अधिकार हो। असलम उर्फ भूरे, अच्छन रिजवी बनाम भारत संघ (1994) 6 एस सी सी 442 में माना गया कि किसी आदेश का उल्लंघन, उल्लंघन के सकारात्मक कार्य या, गुप्त और अप्रत्यक्ष सहायता द्वारा आदेशों का उल्लंघन के अनुसार

किया जाता है। मौजूदा मामले में उल्लंघन एक सकारात्मक कार्य के रूप में किया गया, जो कि रिकार्ड को देखने से स्पष्ट है।

15. हम पहले ही जता चुके हैं कि अवमाननाकर्ताओं ने अपनी संस्था को सूचित करने के बाद निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के तहत अपने संस्थान को दिनांक 4.5.2011 को एक विश्वविद्यालय होना बताते हुए व एएफआरसी अधिनियम लागू होना बन्द होना बताते हुए इसके लिए बाध्य नहीं होने का कथन किया है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बारे में अवमाननाकर्ताओं को यह अधिकार नहीं है कि आदेश की पालना हेतु एक कानून के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर मानकर दे। इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी है, जब तक कि न्यायालय द्वारा इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जावे। इस मामले में सभी अपीलें जिनमें अन्तरिम आदेश पारित कियेे गये हैं इस न्यायालय के समक्ष लम्बित है। यदि अवमाननाकर्ताओं के पास इन आदेशों की प्रयोज्यता पर सन्देह था तो वे आदेश में स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग कर सकते थे। अब उनके द्वारा बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगते हुए संभावित कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जा रहा है। आदेशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना हुई है और उनके द्वारा किये गये अवैध कार्यों का आनन्द लेने के बाद छात्रों को काफी असुविधा हुई। यह सुस्थापित विधि है कि माफी न तो दोषियों को शुद्ध करने के लिए बचाव का हथियार है, न ही इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रामबाण के रूप में कार्य करना है। इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का प्रमाण है। (देखें एम.वाई. शरीफ व अन्य बनाम माननीय न्यायाधिपति, नागपुर उच्च न्यायालय व अन्य (1955) 1 एससीआर 757 और एम.बी. सांघी, अधिवक्ता बनाम पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय व अन्य (1991) 3 एससीसी 600

16. अवमाननाकर्ताओं ने अब बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगी है और अपनी उस अवैधता को ठीक करने, जिनके लिए वो प्रतिबद्ध थे काम किया है, लेकिन इन्होंने पूरी सीटें अपने आप भरकर आदेशों के उल्लंघन का उद्देश्य हासिल कर लिया है। इस न्यायालय के आदेशों की पवित्रता बनाए

रखने और यह सन्देश देने के लिए कि पक्षकार बिना शर्त माफी मांगकर अपनी अवैधता का फल भोगने के पश्चात अयोग्य क्षमायाचना कर नहीं बच सकते, इसलिये हम अवमाननाकर्ताओं पर 50 लाख रूपये का जुर्माना निर्धारित करने के इच्छुक है।

17.अब हम यह जांच कर सकते हैं कि अवैधता कैसे की गई, जिसे सुधारा जा सकता है। शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए राज्य सरकार का कोटा 107 सीट का था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

63 सीट इस न्यायालय के आदेशानुसार 50: 50 की।

एम सी आई के पत्र दिनांक 19.9.2011 के अनुसार पीपल्स कॉलेज में आवश्यकता से अधिक 42 सीटों पर वर्ष 2010-11 के लिए दाखिले हुए।

2 सीटें जो एन आई आई कोटे में नहीं भरी गई।

18.शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में 150 विद्यार्थियों की स्वीकृत स्थिति थी, लेकिन अवमाननाकर्ताओं ने 245 सीटें भर दी। यद्यपि कॉलेज को केवल 43 सीटें भरने के लिए अधिकृत किया गया था। अवमाननाकर्ताओं ने 95 सीटे जो राज्य कोटे की थी वो भर ली। इस प्रकार 107 अतिरिक्त सीटों को महाविद्यालय द्वारा भरा गया। हालांकि अवमाननाकर्ताओं द्वारा यह तर्क लिया गया कि यदि 63 सीटें वर्ष 2014-15 के लिए भरकर समायोजित की जाएगी तो वह कॉलेज के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए नुकसान की भरपाई करने के लिए उनका सुझाव है कि वे चरणबद्ध तरीके से नुकसान की भरपाई करेंगें, यानि 2014-15 में 21 सीटे, 2015-16 में 15 सीटे एवं शेष समान अनुपात की सीटे 2016-17 में भरेंगें, जिसे स्वीकार करना हमारे लिए कठिन है। हमारे विचार में 2011-12 में 107 से अधिक हुए दाखिलों को समायोजित करना होगा। 2014-15 में पूर्ण एवं शेष सीटों पर समायोजन 2015-16 में किया जावे, क्योंकि जो अवैधता हुई है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने मृदुल धर (माइनर) एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2005) 2 एससीसी 65 में (निर्देश संख्या 11) निम्नलिखितानुसार पारित किया है:

''11. यदि कोई निजी मेडीकल कॉलेज किसी शैक्षणिक सत्र में निर्धारित कोटे से अधिक प्रबन्धन सीटों पर प्रवेश देता है तो आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए उतना कोटा कम कर दिया जायेगा।

19. हम उपरोक्त स्थिति को दोहरा सकते हैं जो अवमाननाकर्ताओं द्वारा उनके अवैध व गैर कानूनी कृत्य से बनाई गयी है। यह स्थिति स्वीकृत संख्या से ज्यादा संख्या में प्रवेश देकर बनाई गयी है। जिन छात्रों को बाद में राज्य कोटे से प्रवेश दिया गया है उन्हें गुणवत्ता पूर्वक मेडीकल शिक्षा नहीं मिल पाई है जिसके लिए वो अधिकारी थे। इसके अलावा उन्हें पहले भी अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए प्रेरित किया जाकर उनके भविष्य के लिए अनिश्चितता पैदा करने का प्रयास किया गया है।

20. इसलिए हम राज्य कोटा के विद्यार्थी को वर्ष 2011-12 के शैक्षणिक सत्र में चिकित्सा महाविद्यालयों में दिये गये प्रवेश को नियमित करने के लिए आदेश देते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए राज्य कोटे की सीटों पर दिये गये प्रवेश वैध व कानूनी है। चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए व उसके पूर्व के वर्षो के लिए जो आधिक्य 107 प्रवेश दिये गये हैं, उन्हें मेडीकल कॉलेज द्वारा सत्र 2014-15 में समायोजित किया जावे और शेष को वर्ष 2015-16 में समायोजित किया जावे। अवमाननाकर्ताओं द्वारा बिना शर्त और अयोग्य माफी को स्वीकार किया जाता है, लेकिन अवमाननाकर्ताओं को राज्य सरकार को 50 लाख रूपये जुर्माना देने का निर्देश दिया जाता है। इसके अनुसार आदेश पारित किया गया।

21. अवमानना याचिका उपरोक्तानुसार निस्तारित की गई।अवमानना याचिका निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेम रतन ओझा आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।